

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 284 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 21 मई 2018—वैशाख 31, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 मई 2018

क्र. एफ-बी-04-01-2018-2-पांच-(33).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-04-01-2018-2-पांच(03) दिनांक 10 जनवरी 2018, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में राजपत्र क्र. 17, दिनांक 10 जनवरी 2018 में प्रकाशित हुई थी, को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, स्टाम्प अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 6 के अधीन शासकीय योजनाओं के अंतर्गत गठित महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा समूह के सदस्यों के आर्थिक विकास हेतु 10 लाख रुपये तक के ऋण को प्रतिभूत करने के लिए बैंकों के पक्ष में निष्पादित लिखतों पर प्रभाय स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 मई 2018

क्र. एफ-बी-04-01-2018-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-04-01-2018-2-पांच (33), दिनांक 21 मई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 21st May 2018

No. B-4-01-2018-2-V( 33).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) and in supersession of this department's notification No. B-4-01-2018-2-V(03) dated 10th January 2018 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary) No. 17 dated 10th January 2018, the State Government, hereby, remits stamp duty chargeable under article 6 of Stamp Schedule-1A on the instruments executed in favour of Banks for securings loan upto 10 Lakh Rupees by Women self help group, constituted under Government Schemes for economic development of the members of the groups.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.